न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—46/2017/75 (2017/00046)

1. रामदेव पुत्र रामधन, जाति माली, निवासी सराणा, तह0 व जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर ।
2. अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर जरिये सचिव, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर ।

रेस्**पोडेंटस**

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर, दिनांक 27.9.2013 आदेश क्रमांक क.अ./राजस्व/एफ—12 (सी)/13/292 .

उपस्थितः—

1. श्री महेन्द्रसिंह, वकील अपीलांट ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. श्री रामकिशोर खदाव, वकील रेस्पो0 संख्या 2.

निर्णय

दिनांकः—10.4.2019

1. यह अपील विद्वान जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के आदेश क्रमांक क.अ./राजस्व/एफ—12 (सी)/13/292 दिनांक 27.9.2013 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर ने आदेश क्रमांक क.अ./राजस्व/एफ—12 (सी)/13/292 दिनाक 27.9.2013 द्वारा अन्य ग्राम की भूमियों के साथ सराणा, तहसील व जिला अजमेर की भूमियां आधारभूत खसरा नंबर 319/1912 रकबा 0.36 है0, खसरा नंबर 320/1913 रकबा 0.30 है0, 321/1914 रकबा 0.94 है0 को अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर को हस्तांतरित किये जाने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।
3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।
4. विद्वान वकील अपीलांटस ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 पर बहस करते हुए कथन किया कि विवादित भूमियां अपीलांट को आवंटनशुदा आराजियात है जिन पर वह काबिज काश्त चला आ रहा है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुना नहीं गया है।

अपीलाधीन आदेश से अपीलांट के हक व अधिकार प्रभावित हुए है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलांटस को अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य का कोई अवसर नहीं दिया गया जिससे अपीलाधीन आदेश की अपीलांट को जानकारी नहीं हो सकी थी । सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 12.1.2017 को पटवारी हल्का द्वारा बताने पर हुई जिस पर प्रार्थी ने दिनांक 13.1.2017 को नकल हेतु आवेदन किया जिस पर दिनांक 20.1.2017 को आदेश की नकल प्राप्त होने पर अपीलांट ने जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है। अपील में हुआ विलंब सद्भाविक एवं उचित है। अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे।

6. प्रकरण में गुणावगुण पर बहस करते हुए विद्वान वकील अपीलांट ने अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अपीलाधीन भूमियों पर अपीलांट अपने पूर्वजों के समय से काबिज काश्त चला आ रहा है । उक्त आराजियात अपीलांट को विधिवत् तरी से मजमेआम में दिनांक 23.5.1967 को आवंटित की जाकर कब्जा सुपुर्द किया गया था । विद्वान जिला कलक्टर ने अपीलाधीन भूमि को रेस्पो0 संख्या 2 को हस्तातंरित करने से पूर्व विवादित आराजियात के मौके रिकार्ड की जांच किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किये है जो निरस्त योग्य है । संवत् 2029 में राजस्व कर्मचारियों द्वारा खसरा परिवर्तनशील में अपीलांट रामदेव वल्द रामधन के द्वारा काश्त किया जाना दर्ज है तथा आवंटन के आधार पर खातेदारी भी दर्ज है । खसरा परिवर्तनशील संवत् 2031 से 2036, 2038 सन् 1981–82, संवत् 2041 से 2070 तक विवादित आराजियात पर अपीलांटस की काश्त दर्ज है । आवंटन आदेश की पालना में अपीलांटस को बतौर खातेदार दर्ज किया गया है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में यह भी कथन किया कि अपीलांट के पक्ष में किया गया आवंटन आज दिवस तक प्रभावी है । अपीलांट के पक्ष में हुए आवंटन को सक्षम न्यायालय से निरस्त कराये बिना राजस्व कर्मचारियों को विवादित आराजी सिवायचक दर्ज करने का अधिकार नहीं था । अपीलांट ने विवादित आराजियात पर कृषि कार्य हेतु कुछ भूभाग पर पक्का निर्माण भी कर रखा है जिसका उल्लेख संलग्न जमाबंदियों में राजस्व कर्मचारियों द्वारा किया गया है । विद्वान जिला कलक्टर द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते समय राजस्व रिकार्ड एवं विवादित भूमि के मौके की जांच नहीं किये जाने से उपरोक्त तथ्य जिला कलक्टर के समक्ष प्रकट नहीं हो सके थे । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर का आदेश दिनांक 27.9.2013 ग्राम सराणा, तहसील व जिला अजमेर के खसरा नंबर खसरा नंबर 319/1912 रकबा 0.36 है0, खसरा नंबर 320/1913 रकबा 0.30 है0, 321/1914 रकबा 0.94 है0 की हद तक निरस्त किये जावे ।

7. जवाब बहस में विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 एवं रेस्पो0 संख्या 2 अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर के अधिवक्ता ने कथन किया कि विवादित भूमि सिवायचक होने से जिला कलक्टर, अजमेर ने रेस्पो0 संख्या 2 को हस्तातंरित की है एवं वर्तमान में विवादित भूमि रेस्पो0 संख्या 2 के नाम दर्ज है । यह भी कथन किया कि अपीलांट ने अपील मियाद बाहर पेश की है जो खारिज किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलांटस खारिज की जावे ।

8. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 एवं धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण

करना उचित समझते है । अपीलांटस ने अपने प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 में जो कथन किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है। हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना उचित समझते है । अतः अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.9.2013 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

9. प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांटस को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया था अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलांटस को प्रारंभ से होना नहीं माना जा सकता है । अपीलांट द्वारा विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक है । अतः न्यायहित में विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

10. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमियां विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर ने आदेश दिनांक 27.9. 2013 द्वारा रेस्पो0 संख्या 2 अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर को हस्तातंरित की है तथा वर्तमान अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर के नाम है । अपीलांट का कथन है कि विवादित भूमियां अपीलांट को आवंटित भूमि है जिसे भू–प्रबधं विभाग ने अविधिक रूप से सिवायचक दर्ज कर दिया है किन्तु अपीलांट ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो विवादित भूमि कभी भी अपीलांट के नाम गैर खातेदारी तथा खातेदारी में दर्ज रही हो । इसके अतिरिक्त गलत इंद्राज के संबंध में अपीलांट द्वारा सक्षम न्यायालय में चाराजोही की हो इस संबंध में भी कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है। यदि सिवायचक के इंद्राज को गलत भी मान लिया जावे तो भी खातेदारी एवं इंद्राज दुरूस्ती हेतु अपीलांट को सक्षम न्यायालय में अनुतोष प्राप्त हो सकता है न कि धारा 75 राज0भू–राजस्व अधि0 1956 के तहत । अपीलांट ने विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित हस्तातंरित आदेश के विरूद्ध अपील पेश की है किन्तु उक्त आदेश में क्या त्रुटि है यह दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित नहीं किया है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर का आदेश यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

11. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनाक 27.9.2013 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

12. निर्णय आज दिनांक 10.4.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर